

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर

पत्रांक 289/14-1 रामपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2017
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद

विषय :- रामपुर में स्वार-बिलासपुर मार्ग कि०मी० 13 की बायीं पटरी पर ग्राम मेंहदी नगर के खसरा संख्या-132 पर एच०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.064148 (संशोधित 0.050648 है०) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-681/रामपुर/27293/2017 दिनांक 06.09.2017

महोदय,

आपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है।

Observation No	Observation	Reply
1	प्रस्तावित वन भूमि की गणना में प्रवेश मार्ग का क्षेत्रफल-213.94 है०, निकास मार्ग का क्षेत्रफल-213.94 है० एवं मध्य भाग का क्षेत्रफल-177.60 है० का योग 0.060548 है० होता है, किन्तु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.064148 है० अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रभावित वन भूमि का संशोधित योग 0.060548 है० आनलाइन एवं आफलाइन पार्ट-I & पार्ट-II एवं अन्य सभी प्र-पत्रों में कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के कराकर ऑन लाईन अपलोड करें एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करा दिये गये है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-30 पर संलग्न है।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-38 पर संलग्न अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, रामपुर के पृष्ठांकन में उल्लिखित मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० मुरादाबाद के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.07.2017 की सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करे।	संलग्न है।
4	प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप में समस्त key point के आक्षांश व देशान्तर अंकित नहीं किये गये है। अंकित आक्षांश व देशान्तर किस बिन्दु से संबंधित है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट करते हुए संशोधित डिजिटल मैप आन लाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप में कर्व key point के आक्षांश व देशान्तर को अंकित कर सभी बिन्दुओं को मानचित्र में तालिका बना दी गयी है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-26 पर संलग्न है।

5	अधिकतर अभिलेखों में प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी द्वारा सील के ऊपर हस्ताक्षर न कर सील के नीचे हस्ताक्षर किये गये जो सुसंगत नहीं है।	पृष्ठ संख्या-25, 26, 47, 48, 49, 57, 58 एवं 61 पर सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सील लगाकर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
---	--	--

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक

789/14-1

दिनांकित

प्रतिलिपि श्री सन्दीप कुमार सिन्हा विधिवत गठित न्यायवादी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।